"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2004—ज्येष्ठ 21, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2 .— (1) श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से. (1982), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को उक्त विभाग से स्थानांतरित करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व विभाग पदस्थ किया जाता है .

(2) श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. (1987), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग एवं आयुक्त, जनसंपर्क को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, सहकारिता विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

(3) श्रीमती रेणु पिल्ले, भा.प्र.से. (1991), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, वित्त विभाग एवं संचालक, बजट का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(4) श्रीमती ईशिता रॉय, भा.प्र.से. (के.एल. 1991) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, भा.प्र.से. (एम. टी. 1993) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पंजीयन, महानिरीक्षक का प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—श्री एच. एल. प्रजापति, भा.प्र.से. (1984) को अन्तः राज्यीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. (1992) को प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक बी-1-47/2003/4/एक.—श्री बी. के. अग्रवाल, (आर. आर.-85 रा.प्र.से.-वरिष्ठ प्रवर श्रेणी) संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री ब्रजेश चन्द्र मिश्रा, (आर. आर.-87 रा. प्र. से. प्रवर श्रेणी) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक 434/2004/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 177-78/04/1-8, दिनांक 12 मार्च, 2004 द्वारा सुश्री ओमेगा युनाईस टोप्पो, उप सचिव, छ. ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 19-4-2004 से 30-4-2004 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, उक्त अवकाश के अनुक्रम में सुश्री टोप्पो को स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में दिनांक 7-5-2004 तक की वृद्धि स्वीकृति की जाती है.

2. शर्तें आदेश दिनांक 12 मार्च, 2004 के अनुसार यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2004

क्रमांक 3354/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	सेम्हरबांधा प.ह.नं. 20	3.972	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग), अं. चौकी.	मोंगरा परियोजना के मुख्य नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2004

क्रमांक 3355/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	ब्राम्हण भेड़ी प.ह.नं. 9	4.351	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग), अं. चौकी.	मोंगरा परियोजना के मुख्य नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2004

क्रमांक 3356/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	भड़सेना प.ह.नं. 20	8.137	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग), अं. चौकी.	मोंगरा परियोजना के मुख्य नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/101.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नगरदा प.ह.नं. 3	0.215	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	पुटेकेला उप वितरक

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/128.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सेंदरी प.ह.नं. 3	0.575	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	पुटेकेला उप वितरक

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 मार्च 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/136.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	किरारी प.ह.नं. 13	0.472	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	गस्तीडीह माइ.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जून 2004

क्रमांक 224/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-धुरकोट, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.472 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51/1	0.097
50/4	0.008
50/7	0.053
790/7	0.028
770/30	0.255
770/31	0.089
770/33	0.243
770/42	0.012
867/2	0.008
1098/2	0.073
1098/4	0.121
51/2	0.105
52	0.117
770/50	0.053
796	0.085
53	0.138
789	0.081
54/1	0.045
54/2	0.121
795	0.008
790/11	0.202
790/10	0.045
50/5	0.040
790/5	0.028
790/6	0.008
799/2	0.008
790/9	0.028
55/2, 55/7, 55/8	0.032
799/8	0.012
770/49	0.024
55/1	0.121
790/2	0.049
790/4	0.097
805/2	0.045
596/5	0.032
1100/3, 1100/4	0.065
805/1	0.045
798	0.016
804/1	0.028
803/2	0.069
799/7	0.016
799/5	0.020
799/6	0.028
800/2	0.105
800/1	0.125
770/36	0.214
770/52	0.190
876/2	0.596
1103/2	0.020
864/1	0.032
864/3	0.049
864/2	0.283
865/1	0.016
869/1	0.053
858, 876/1	0.125
868/1	0.020
870	0.036

(1)	(2)
820/1	0.024
योग 100	7.472

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप-वितरिका नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 जून 2004

क्रमांक 225/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-तौलीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
100/4	0.085
208/9	0.012
योग 2	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फगुरम सब-डिवाय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

(1)	(2)
1111/3	0.150

(1)	(2)
868/2	0.053
869/2	0.053
871/1	0.081
873/3	0.061
880/2	0.065
872/1	0.049
872/2	0.057
873/2	0.061
874/2	0.008
875/1, 875/2	0.073
881/8	0.024
881/7	0.028
881/19	0.101
881/9	0.020
881/18	0.065
881/16	0.040
881/11	0.040
881/17	0.020
618/1	0.113
618/3	0.097
619	0.053
614	0.053
615/1	0.198
612/1	0.077
600/1	0.117
599	0.040
596/8, 597/3	0.024
590/1, 590/2	0.150
597/1, 598	0.049
595	0.061
1100/2	0.073
1102/1	0.028
1098/1	0.069
1098/3	0.061
1103/1	0.024
1097/4	0.053
1103/3	0.020
1097/1 क	0.053
1097/1 ख	0.057
1097/3, 1097/5	0.061
1109	0.206

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 40/प्र. 1/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-आमटी, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	231/3	0.12
	231/2	0.16
	231/1	0.24
	236	0.10
	224	0.10
योग	5	0.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के अंतर्गत आमटी माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 42/प्र. 1/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-मासाभाट, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.55 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	508	0.55
	516	0.16
	523	0.15
	524	0.12
	527	0.13
	528	0.13
	522	0.31
योग	7	1.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के अंतर्गत मासाभाट डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 44/प्र. 1/अ.वि.अ./2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-निकुम, प.ह.नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.70 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
707	0.04
706	0.28
701	0.14
705	0.02
704	0.16
699	0.04
830	0.18
847	0.06
843	0.13
844	0.05
841	0.20
840	0.12
835	0.12
834	0.16
833/1	0.18
833/2	0.32
878/1	0.18
878/2	0.16
891	0.10
892	0.26
920	0.01
921	0.01
922	0.06
917	0.10
918	0.10
914	0.16
1558	0.82
1573	0.06
1576	0.20
1594	0.12
1595	0.06
1596/1	0.06
1596/2	0.16
1598	0.16
1615	0.04
1619/1	0.28
1619/2	0.24
1619/3	0.16
योग 38	5.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के अंतर्गत आमटी माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक 194 क/12/अ/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-कुरमीपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
146	0.11
899	0.04
158	0.02
225	0.01
159	0.05
160	0.02
226	0.03
162	0.03
227	0.07
374	0.10
879	0.01
163	0.02
334/1	0.10
774	0.01
848	0.09
853	0.07
136	0.08
211	0.01
1083	0.01
1073	0.01
137	0.12
164	0.01
174	0.06
184	0.07
209	0.01
344	0.02
345	0.02
777	0.03
131	0.05
900	0.03
792	0.03
850	0.07
854	0.12
865	0.10
175	0.01
176	0.02
1114	0.01
183	0.05
210	0.06
1072	0.06
45	0.07
234/1	0.04
1086/2	0.05
229	0.05
228	0.01
245	0.01
350	0.07
778	0.02
1112	0.04
246	0.08
48	0.09
47	0.02
46	0.05
387	0.05
1071	0.07
324	0.02
327	0.03
194	0.12
744	0.04
328	0.05
329	0.01
373	0.01
1080	0.09
349	0.03
367	0.02
871	0.07
872	0.03
368	0.02
351	0.02
750	0.02
779	0.03
348	0.01
866	0.05
1085	0.08
784	0.13
873	0.07
770	0.04
898	0.02
846	0.05
847	0.07
849	0.02
769	0.03
745	0.03
746	0.01

(1)	(2)
751	0.01
748	0.07
752	0.11
753	0.01
693	0.01
693/2	0.08
892	0.02
योग 91	4.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लाथ नाला व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सराय-पाली कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेश पाठक, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.